संख्या: 800/VII-II-09/72-उद्योग/2006

प्रेषक,

हरिओम,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 16 अप्रैल, 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए बचनबद्ध मदों में व्यय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के प्रथम 04 माह (दिनांक 01 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009 तक) के लिए लेखानुदानान्तर्गत 18-उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना व्यय अन्तर्गत बचनबद्ध मदों में निम्न विवरणानुसार रू0 1.29 लाख (रू0 एक लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

18-उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना:-

कोड/मद का नाम	आवंटित धनराशि (हजार रू0 में)
01-वेतन	67
02-मजदूरी	20
03- महगाई भत्ता	15
06-अन्य भत्ते	7
13-टेलीफोन पर व्यय	3
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17
योग-	129
	(रू0 एक लाख उनतीस हजार मात्र)

2- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नही किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3- उक्त धनराशि मात्र बचनबद्ध मदों में ही स्वीकृत की जा रही है, तथा इस आशय से आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि कृपया विभाग को उनकी माँग के अनुरूप तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव औचित्य सहित शासन को उपलब्ध करायें ताकि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए उक्त मदों में धनराशि अवमुक्त की जा सके।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2010 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

NON-PAL-FIN-2009-10-7

5– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाये।

6– उक्त व्यय वास्तु वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2051–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना मद के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 800/VII-II-09/72–उद्योग/2006 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
5. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।